VENTURE CAPITAL FUND FOR SCHEDULED TRIBES (VCF-ST)

First of its kind VC Fund to promote entrepreneurship among the Scheduled Tribes.

Supporting business owned by Scheduled Tribes Entrepreneurs in manufacturing, services and allied sector, including start-ups and units being incubated in the technology business incubators, ensuring asset creation.

Eligibility

- Private / Limited companies with at least 6 months / 1 year's existence with at least 51% holding by ST entrepreneurs with management control.
- Existing Proprietary / Partnership Firm / OPC/ LLP / others with at least 6 months / 1 years existence with at least 51% ownership / holding by ST entrepreneurs with management control can form a new Private / Limited and then transfer the firm / entity in the newly formed company to apply immediately.

Apply at: www.vcfst.in

- Instant result on eligibility check.
- All required information at one place.
- One point submission of details and documents.
- Transparent platform for status of application.

जनजातीय कार्य मंत्रालय MINISTRY OF

TRIBAL AFFAIRS

• Fast resolution on application.

Features

- Avail Investments between **Rs.10 Lakhs** to Rs.5 Crore for upto 10 years
- Concessional Finance @ 4% p.a. (for women / disabled ST entrepreneurs @ 3.75% p.a.)
- Funding for maximum upto 75% of the project cost and the balance 25% by promoters or through Government subsidy/bank loans etc.
- Incubation funding for innovative ideas Technology selected by Business Incubators (TBIs) for a period of 3 years aggregating Rs.30 Lakh (Rs 10 lakh average per year).

Contact: IFCI Venture Capital Funds Limited

16th Floor, IFCI Tower, 61, Nehru Place, New Delhi - 110019 **FCI VENTURE**

Email:vcfst@ifciventure.com Phone: 011 - 4173 2570 / 2590 / 2516

वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ–एसटी) अनुसूचित जनजातियों के लिए

अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह का पहला वीसी फंड

अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह का पहला वीसी फंड विनिर्माण, सेवा एवं सम्बद्ध क्षेत्रें में स्थापित की जा रही परियोजनाएं/इकाईयां, जिनमें स्टार्ट–अप और प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर (इंक्यूबेशन फंडिंग के लिए) में इंक्युबेट की जा रही इकाईयां शामिल हैं।

योग्यता

- प्रबंधन नियंत्रण के साथ एसटी उद्यमियों द्वारा कम से कम 51
 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ कम से कम 6 महीने / 1 वर्ष के अस्तित्व वाली निजी / सीमित कंपनियां।
- मौजूदा मालिकाना/साझेदारी फर्म/ओपीसी/एलएलपी/अन्य जिनके पास कम से कम 6 महीने/1 साल का अस्तित्व है और प्रबंधन नियंत्रण के साथ एसटी उद्यमियों द्वारा कम से कम 51 प्रतिशत स्वामित्व/होल्डिंग है, एक न प्राइवेट/लिमिटेड बना सकते हैं और फिर फर्म/इका को इसमें स्थानांतरित कर सकते हैं | नवगठित कंपनी को तुरंत आवेदन करना होगा |

आवेदन करें: www.vcfst.in

- पात्रता जांच पर तुरंत परिणाम।
- सभी आवश्यक जानकारी एक ही स्थान पर।
- विवरण और दस्तावेजों को एक बिंदु पर प्रस्तुत करना।
- आवेदन की स्थिति के लिए पारदर्शी मंच । आवेदन पर त्वरित

जनजातीय कार्य मंत्रालय

FRIBAL AFFAIRS

MINISTRY OF

• समाधान

विशेषताए

- रु. 10 लाख से रु. 5 करोड़ तक के निवेश पर 90 साल तक
- 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से रियायती वित्त का लाभ उठाएं। (महिला/विकलांग एसटी उद्यमियों के लिए / 3.75 प्रतिशत प्रति वर्ष)
- परियोजना लागत का अधिकतम 75 प्रतिशत तक वित्तपोषण और शेष 25 प्रतिशत प्रमोटरों द्वारा या सरकारी सब्सिडी/बैंक ऋण आदि के माध्यम से।
- टेक्नोल जी बिजनेस इन्क्यूबेटर्स (टीबीआ) द्वारा चुने गए नवोन्वेषी विचारों के लिए 3 साल की अवधि के लिए इन्क्यूबेशन फंडिंग, कुल मिलाकर रु. 30 लाख रुपये (प्रति वर्ष औसतन रु. 10 लाख)।

आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड आईएफसीआई टॉवर, 16वां तल, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 इंमेलः vcfst@ifciventure.com फोनः 011 – 4173 2570 / 2590 / 2516